संख्या287/XXVii(7)/का0प्रभा0/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
सिंचाई,उत्तराखण्ड शासन।

2–सचिव,
लोक निर्माण,उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 12 नवम्बर,2009

विषय–लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य विभाग जहॉ कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिको का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति(2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य विभाग जहॉ पूर्व से रहे शासनादेश के कम में कार्यप्रभारित अधिष्ठान मे दिनांक 1–1–2006 के पूर्व से कार्यप्रभारित कर्मचारी कार्यरत है की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–3 में पूर्व निर्धारित संहत वेतन सीमा को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार के स्तम्भ–4 के अनुसार निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क0सं0	वेतमान (रूपये) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक1–1–2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा(रू0)	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रू0)
1.	2.	3.	4.
1.	2550–3200	3200	7280
2.	2610–3540	3540	7990
3.	2750–4400	4400	9990
4.	3050–4590	4590	10440
5.	3200–4900	4900	11120
6.	4000–6000	6000	13560
7.	4500–7000	7000	15820
8.	5000–8000	8000	19080

2–संहत वेतन के निर्धारण हेतु वेतनमान के अधिकतम को आधार बनाया गया है अतः इस पर नियमित नियुक्त कर्मचारी की भांति महगाई भत्ता एवं अन्य भत्तो की अनुमन्यता का आधार नहीं है।

3–कार्यप्रभारित कर्मचारियों के प्रकरण में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में वजाज समिति(1998) के क्रम में भविष्य में कार्यप्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक के आदेश थे अतः नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के उल्लघंन को गम्भीरता से लिया जाएगा और संबन्धित प्रभारी अभियन्ता/अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। संशोधित दरें पूर्व से कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होंगें।

4–उक्त पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के फलस्वरूप कार्यप्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31अक्टूबर,2009 तक के एरियर की धनराशि वर्ष 2009–10 से 2011–12 अर्थात तीन वर्षों में क्रमशः40:30:30 के अनुपात में राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप भुगतान की जाएगी और देय धनराशि के जिस किसी अंश का राष्ट्रीय बचत पत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है वह उन्हें नकद दी जाएगी। दिनांक 1 नवम्बर,2009 से इस पुनरीक्षित वेतन का नकद भुगतान किया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 2587 (1)/xxvii(7)का0प्रभा0/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,औबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता,सिंचाई विभाग,देहरादून।
4. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य अनुभाग जहाँ कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत है।
5. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।